[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख ,2023

अधिसूचना

सा.का.नि(अ.). .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, बायो-मेडिकल इंजीनियर, समूह क पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में बायो-मेडिकल इंजीनियर, समूह क पद, राजपत्रित के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतदद्वारा बनाते हैं, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का नाम स्‍ वास्‍ थ्‍ य और परिवार कल्‍ याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, बायो मेडिकल इंजीनियर, समूह-क, राजपत्रित, अननुसचिव पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक स में स्‍ तर -** उक्‍ त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक स में स्‍ तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्‍ य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व यक्ति तयों के लिए आयु-सीमा
)1(	)2(	)3(	)4(	)5(	)6(
बायो-मेडिकल इंजीनियर	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन् द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स् तर-11 (67700-208700/- रुपये)।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व यक्ति तयों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन् य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व यक्ति तयों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन् नत व यक्ति तयों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन् नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति त/आमेलन द्वारा तथा विभिन् न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति तयों की प्रतिशतता
)7(	)8(	)9(	)10(
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति एवं आमेलन द्वारा, जिसमें सशस्त्र सेना बल के कार्मिकों का पुनिर्नियोजन शामिल है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
)11(	)12(	)13(
प्रतिनियुक्ति एवं आमेलन, जिसमें सशस्त्र सेना बल के कार्मिकों का पुनर्नियोजन शामिल है। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अधिकारियों में से 1. (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सामान पद धारित करता हो, या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10(56100-177500 रु0) के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित, और 2. निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव धारित करता हो: **अनिवार्य:** 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समतुल्य से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनीयरिंग या बायो-मेडिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिग या मेकनिकल इंजीनियरिंग या मेकाट्रोनिक्स	लागू नहीं।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

इंजीनियरिंग में एआईसीटीई अनुमोदित स्नातक की डिग्री, तथा 2. औद्योगिक मशीनरियों/प्रोसेस उपस्करों/एचवीएसी सिस्टम/क्लीन रूमों/वैक्सिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वाटर यूटिलिटी सिस्टम/सीजी एमपी मैन्युफैक्चरिंग फैसलिटीज/फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की निगरानी, मरम्मत एवं अनुरक्षण में चार वर्ष का कार्यकारी अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनिुक्ति की अवधि) अल्पावधिक संविदा सहित(जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन् य संगठन या विभाग में इस नियुक्ि त से ठीक पहले धारित किन् हीं अन् य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक् ति की अवधि) अल्पावधिक संविदा सहित (शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा (अल्पकालिक संविदा सहित) आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 या वह तिथि जिससे 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू हुई है, से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए संगत ग्रेड वेतन या वेतन मान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय वहां जब एक कॉमन ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में एक से अधिक		

संशोधन-पूर्व वेतनमानों का विलय हुआ हो और जहां यह हितलाभ केवल उन पदों को प्राप्त होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी स्तरोन्नयन का सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		
टिप्पण 4: सशस्त्र सेना बल के ऐसे कार्मिक, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व के लिए स्थानांतरित होने वाले हैं, जिनके पास सीधी भर्ती हेतु विहित अर्हता तथा अनुभव हो, पर विचार किया जा सकता है। चयन होने की स्थिति में, ऐसे अधिकारी को निबंधन के निबंधनों पर उस तिथि तक रखा जाएगा जिस तिथि को वे सशस्त्र सेना बल से कार्यमुक्त होने वाले हैं, उसके बाद उन्हेंपुनर्नियोजन के निबंधनों पर जारी रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में, ऐसे पात्र अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिजर्व के लिए स्थानांतरित हो गए हैं, इसके पहले कि उस पद पर वास्तविक चयन होता है, उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार (सिविल पदों के संदर्भ में अधिवर्षिता की तिथि तक पुनर्नियोजन) पर होगी।		

[फा. सं. ए.12018/02/2023 -ईपीआई]

( )

अवर सचिव, भारत सरकार